



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 717]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2019/अग्रहायण 21, 1941

No. 717]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2019/AGRAHAYANA 21, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 906(अ).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनससीआर) राज्यों में, चूना भट्टियों में पेटकोक का विक्रय और उपयोग भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 45(अ), तारीख 19 जनवरी, 2018 द्वारा अधिसूचित किया गया था, जिसमें केवल उक्त अधिसूचना के साथ उपाबंध के रूप में उपाबंध सूची में उल्लिखित औद्योगिक इकाईयों को पेटकोक का विक्रय किया जाता है और उक्त सूची में कोई परिवर्तन, संबद्ध राज्य सरकार की सिफारिश और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन से किया जाएगा;

और राजस्थान राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2 और चूना भट्टियों की संख्या में वृद्धि तथा उल्लिखित अधिसूचना के उपाबंध में 2 चूना भट्टियों के ब्यौरों में संशोधन को अनुमोदित किया है।

अतः, अब केंद्रीय सरकार, एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के, उपाबंध में –

(i) क्रम संख्यांक 34 और 214 तथा इनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांकों और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“34	मैसर्स केमिकल एंड मिनरल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	एसपी-913 से 915, फेज IV, आरआईआईसीओ इंडस्ट्रियल एरिया, बोरानाडा, जोधपुर, 342012 (राज.)	2	17750	36400	3550”
-----	--	---	---	-------	-------	-------

"214	मैसर्स जय केमिकल	गोटन रोड, ग्राम: बितन, तहसील: मेरता, जिला: नागौर, राजस्थान	3	1500	3600	300"
------	------------------	---	---	------	------	------

(ii) क्रम संख्यांक 430 और इनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्यांकों और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात:-

"431	मैसर्स करनी लाइम उद्योग	खसरा सं. – 1430/1/1, पटेल नगर रोड, बोरुंडा, तहसील: बिलारा, जिला: जोधपुर, राजस्थान	2	2400	1200	240
432	मैसर्स अनदवत्स लाइम इंडस्ट्रीज़	खसरा सं. – 100/1, बसनी हरि सिंह, तहसील: भोपालगढ़, जिला: जोधपुर, राजस्थान	1	625	1250	180"

[फा. सं. क्यू-16017/04/2018-सीपीए (पार्ट)]

निधि खरे, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सा.का.नि. 45(अ) तारीख 19 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात अधिसूचना सा.का.नि. 495(अ) तारीख 25 मई, 2018 और अधिसूचना सा.का.नि. 397(अ) तारीख 31 मई, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

G.S.R. 906(E).—Whereas, sale and use of pet coke in lime kilns in the National Capital Region (NCR) States was notified vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number G.S.R. 45(E), dated the 19th January, 2018, wherein sale of pet coke are made only to the industrial units mentioned in the list annexed to the said notification as Annexure and any change in the said list shall be made on the recommendation of the concerned State Government and with the approval of the Central Pollution Control Board;

And whereas, on the recommendation of the State Government of Rajasthan, Central Pollution Control Board has approved further addition of 2 lime kilns and amendment in the details of 2 lime kilns in the Annexure of the notifications mentioned above.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendments in the aforesaid notification, namely:—

In the said notification, in the Annexure,—

(i) for serial numbers 34 and 214 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: -

"34	M/s. Chemical & Mineral Industries Pvt. Ltd.	SP-913 to 915, Phase IV, RIICO Industrial Area, Boranada, Jodhpur, 342012 (Raj.)	2	17750	36400	3550"
"214	M/s. Jai Chemical	Gotan Road, Vill: Bitten, Tehsil: Merta, District: Nagaur, Rajasthan	3	1500	3600	300"

(ii) after serial number 430 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

“431	M/s. Karni Lime Udhyog	Khasra no.-1430/1/1, Patel Nagar Road, Borunda, Tehsil: Bilara, District: Jodhpur, Rajasthan	2	2400	1200	240
432	M/s. Anadvats Lime Industries	K. No: 100/1, Basni Hari Singh, Tehsil: Bhopalgarh, Distt: Jodhpur, Rajasthan	1	625	1250	180”

[F. No. Q-16017/04/2018-CPA(pt)]

NIDHI KHARE, Jt. Secy.

Note The principle notification was published *vide* number G.S.R. 45(E), dated the 19th January, 2018 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 495(E), dated the 25th May, 2018 and G.S.R. 397(E), dated the 31st May, 2019.